



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

(पीठारीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

डिक्री मुकदमा इन्दादाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्दा दीवानी)

वादी

1. फैलीराम पुत्र रामसहाय जाति भीना आयु वयस्क निवासी ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया तहसील बरसी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. हनुमान पुत्र रामसहाय
2. हीरालाल पुत्र रामसहाय
3. अजय कुमार पुत्र राज्या नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता मनभर देवी पत्नी राज्या।
4. दिलखुश पुत्र राज्या नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता मनभर देवी पत्नी राज्या।
5. मनभर देवी पत्नी राज्या
6. गंगासहाय पुत्र रामचन्द्र
7. लच्छा पुत्र रामचन्द्र
8. लालाराम पुत्र थाना
9. मुन्नालाल पुत्र थाना
10. गोविन्दी देवी पत्नी थाना समस्त जाति भीना समस्त निवासी ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया तहसील बरसी जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बरसी तहसील बरसी जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक बरसी, तहसील बरसी जिला जयपुर।



दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज 0 काश्त 0 अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार शर्मा, एड 0 वादी।

श्री प्रीतम कुमार शर्मा, एड 0 प्रतिवादी संख्या 6 ता 10

मुकदमा न 0 62/2023

पर्चा डिक्री

जी.सी.एम.एस. न 0 2023/179

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ..... वादी व .....

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या नया 106 खसरा संख्या 123/1 रकबा 0.4552 है 0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.3920 है 0, खसरा नम्बर 150/1 रकबा 1.6818 है 0, खसरा नम्बर 150/3 रकबा 0.5058 है 0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.0348 है 0. वाके ग्राम गोकुलपुरा लसाडिया प.ह. रामसर पालावाला भू 0 अ 0 नि 0 क्षेत्र फाल्यावास तहसील बरसी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार बरसी रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है 0)
1	फैलीराम पुत्र रामसहाय जाति भीना सा 0 देह खातेदार।	150/1/1	0.1865
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1865

2	नाबालिग अजय कुमार पुत्र राज्या संरक्षक मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 622/27977 बिना रहन, गंगासहाय पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 7460/27977 राहिन पीएनबी शाखा फाल्यावास, गोबंदी देवी पत्नी थाना हिस्सा 2487/27977, नाबालिग दिलखुश पुत्र राज्या संरक्षक मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 622/27977, मुन्नालाल पुत्र थाना हिस्सा 2487/27977, मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 622/27977 बिना रहन, लच्छा पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 7460/27977 राहीन एसबीआई शाखा लूनियावास, लालाराम पुत्र थाना हिस्सा 2487/27977 बिना रहन, हनुमान पुत्र रामसहाय हिस्सा 1865/27977 राहीन एसबीआई शाखा लूनियावास, हीरालाल पुत्र रामसहाय हिस्सा 1865/27977 जाति मीणा सा.देह खातेदार।	123/1 128 150/3 150/1 150/1/2	0.4552 0.3920 0.5058 1.1918 0.2529
		कुल किता-5	कुल रकबा 2.7977
3	नाबालिग अजय कुमार पुत्र राज्या संरक्षक मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 1/48 बिना रहन, गंगासहाय पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4 राहिन पीएनबी शाखा फाल्यावास, गोबंदी देवी पत्नी थाना हिस्सा 1/12, नाबालिग दिलखुश पुत्र राज्या संरक्षक मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 1/48, फैलीराम पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/16, मुन्नालाल पुत्र थाना हिस्सा 1/12, मनभर देवी पत्नी राज्या हिस्सा 1/48 बिना रहन, लच्छा पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4 राहीन एसबीआई शाखा लूनियावास, लालाराम पुत्र थाना हिस्सा 1/12 बिना रहन, हनुमान पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/16 राहीन एसबीआई शाखा लूनियावास, हीरालाल पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा.देह खातेदार।	150/1/3	0.0506
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0506

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2025/4480 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रैजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया।

(डॉ. गरिम शर्मा R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला जयपुर